

अति तत्काल

MOST IMMEDIATE

एफ.संख्या 5(3)-बी (पी.डी.)/2015

F.No.5(3)-B(PD)/2015

भारत सरकार

Government of India

वित्त मंत्रालय

Ministry of Finance

आर्थिक कार्य विभाग

Department of Economic Affairs

नयी दिल्ली, दिनांक 3 फरवरी, 2016

New Delhi, the 3rd February, 2016

कार्यालय ज्ञापन

OFFICE MEMORANDUM

विषय:- केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले ऋण और अग्रिम - ब्याज की दरें और अन्य निर्बंधन तथा शर्तें।

Subject:- Loans and Advances by the Central Government - Interest rates and other terms and conditions.

उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 29 दिसंबर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन एफ.संख्या 5(3)-बी(पी.डी.)2014 के संदर्भ में।

Reference this Ministry's Office Memorandum F.No.5(3)-B(PD)2014 dated 29th December, 2014 on the captioned subject.

2. उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित ब्याज दरों, श्रेणियों और शर्तों की समीक्षा की गई है। ब्याज की संशोधित दरें श्रेणियों और शर्तों जैसाकि नीचे सारणी में दी गई हैं, पहली अप्रैल, 2015 से लागू होंगी और इनकी समीक्षा होने के समय तक लागू रहेगी:

2. The lending rates, categories and conditions prescribed in the aforesaid Office Memorandum have been reviewed. The revised rates of interest, categories and conditions as given in the Table below, would be applicable from 1st April, 2015 and till the time these are reviewed:

सारणी

TABLE

ऋणकर्ता की श्रेणी और ऋण की किस्म

प्रति वर्ष ब्याज की प्रतिशत दर
Interest rate per cent per annum

- राज्य सरकारें:*
- संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें (विधान मंडल सहित):
(i) एक वर्ष तक के लिए ऋण और ईएपी ऋण
(ii) अन्य ऋण
- सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रम और सहकारी समितियां:
(i) निवेश ऋण #
(ii) कार्यचालन पूंजी ऋण और नकद घाटे को पूरा करने के लिए ऋण #
(iii) रुग्ण सरकारी क्षेत्र उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए ऋण
- सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाएं, पत्तन न्यास, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, एनएचएआई, दिल्ली नगर निगम, वस्तु बोर्ड, सामाजिक सेवा संस्थाएं, व्यक्ति आदि।
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

Category of borrower & type of loan	Interest rate per cent per annum
1. State Governments:*	8.50
2. Union Territory Governments (with Legislature):	
(i) Loans upto 1 year and EAP loan	8.50
(ii) Other Loans	9.00
3. Industrial and Commercial Undertakings in the Public Sector and Cooperatives.	
(i) Investment loans #	--
(ii) Working Capital loans and loans to meet Cash losses #	--
(iii) Loans for implementation of VRS in sick PSUs	10.00
4. Financial institutions in the Public Sector, Port Trusts, KVIC, NHAI, Municipal Corporation of Delhi, Commodity Boards, Social Service Institutions, Individuals, etc. @	
5. National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)	9.50

* राज्य सरकारों को दिए जाने वाले ऋण केवल ईएपी ऋणों के तहत ही दिए जाएंगे। अर्थोपाय अग्रिम ऋणों के लिए राज्य सरकारों को आरबीआई विंडो की सुविधा प्राप्त होगी। यदि किसी राज्य को कोई विशेष आकस्मिक जरूरत पड़ती है तो बजट प्रभाग द्वारा प्रत्येक मामले के आधार पर प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

* Loans to State Government would be under EAP loans only. For Ways & Means loans, State Govts. have access to RBI window. In case any State has any specific contingent requirement, the proposal would be considered on case specific basis by Budget Division.

केन्द्र सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को भारत सरकार से मिलने वाले निवेश और कार्य पूंजी ऋण की सुविधा सामान्य रूप से एतद्वारा बंद कर दी गई है। केन्द्र सरकारी क्षेत्र के उपक्रम आम तौर पर ऋणग्रस्त नहीं हैं और इसलिए उन्हें बाजार से अथवा बैंकों से ऋण जुटाना चाहिए। यदि केन्द्र सरकारी क्षेत्र का उपक्रम "स्ट्रैटजिक"/"सुरक्षा" की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, और बैंक इसे ऋण देने से मना करते हैं तथा इसके पास मुद्राकरण के लिए भूमि सहित कोई वास्तविक आस्तियां नहीं हैं, तभी इसे बजट प्रभाग के पूर्वानुमोदन से 11 प्रतिशत दर पर ऋण दिया जाएगा। तथापि, जहां भी 2015-16 में केन्द्र सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को निवेश और कार्य पूंजी ऋण दिया जा चुका है, तो उस मामले में ब्याज दर क्रमशः 11.50 प्रतिशत और 13.50 प्रतिशत रहेगी।

The window of investment and working capital loan to CPSUs from Government of India in general, is hereby closed. CPSUs, in general, are hardly having debt and hence should raise debt from market or from banks. Only if CPSU is justified as significant from 'Strategic'/'Security' angle, banks refuse loan to it and it has no real assets including land, to monetise, would loan be extended to it at 11% with the prior approval of Budget Division. However, wherever Investment and Working Capital loan has already been extended to CPSUs in 2015-16, the rate of interest would be at 11.50% and 13.50% respectively.

@ सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं, पत्तन न्यासों, केवीआईसी, एनएचएआई, दिल्ली नगर निगम, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीजीसी), कमोडिटी बोर्ड, सामाजिक सेवा संस्थान, व्यक्ति, इत्यादि को दिए जाने वाले ऋणों से संबंधित विंडो सामान्यतः पिछले तीन वित्त वर्षों में, इसके तहत लिए गए ऋणों को देखते हुए एतद्वारा बंद की जाती है। तथापि, यदि भविष्य में कोई विशेष मामला आता है तो उस मामले के गुणावगुण की बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जांच की जाएगी।

@The window pertaining to loans to Financial Institutions in the Public Sector, Port Trusts, KVIC, NHAI, Municipal Corporation of Delhi, National Co-operative Development Corporation (NCDC), Commodity Boards, Social Service Institutions, Individuals etc. in general, is hereby closed seeing the offtake under this in last 3 financial years. However, if a specific case still comes in future, it would be examined by the Budget Division, DEA on merits of that case.

3. विदेशी सरकारों को ऋणों की ब्याज दर सहित अन्य शर्तें बजट प्रभाग के साथ परामर्श करके निर्धारित की जानी चाहिए। विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत निधियों के उधार दिए जाने की शर्तें निर्धारित पद्धति के अनुरूप होनी

3. The terms, including interest rate of loans to Foreign Governments may be settled in consultation with Budget Division. Terms for on-lending of funds under externally aided projects should be in accordance with the

चाहिए। यदि विचलन आवश्यक समझा जाए, तो बजट प्रभाग की सलाह ली जानी चाहिए।

4. उपर्युक्त निर्धारित ब्याज की दरें समय पर अदायगियों और ब्याज के भुगतान के लिए हैं और इसलिए समय पर अदायगियां करने के लिए दरों में और छूट नहीं दी जानी चाहिए।

5. अन्य निबंधन तथा शर्तें

(क) ऋण की स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी को विभिन्न संगठनों को ऋण स्वीकृत करते समय सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 (जीएफआर, 2005), विशेषकर जीएफआर, 2005 के अध्याय 9 (II-ऋण) के तहत बनाई गई नियमावली में निहित अनुदेशों का सतर्कता से पालन करना चाहिए।

(ख) समय-समय पर जारी की गई हिदायतों की समीक्षा की जाती रही है और इन्हें संदर्भ की सुविधा के लिए निम्नलिखित पैराओं में निरूपित किया गया है।

6. राज्य सरकारें

राज्य सरकारों को ऋणों के मामले में मूलधन की वार्षिक किस्त और ब्याज की अदायगी की स्वीकृत प्रबंध व्यवस्था इस प्रकार होगी:-

(क) राज्य आयोजनागत योजनाओं और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अन्य योजनागत ऋणों के वास्ते एक मुश्त ऋण:- किस्तों में लिए जाने पर इन ऋणों को समेकित कर दिया जाएगा और यह समझा जाएगा कि ये ऋण वर्ष की पहली अक्टूबर को लिए गए थे। राज्य आयोजनाओं के लिए स्वीकृत किए गए ऋणों की परिपक्वता अवधि 20 वर्ष है, जिसकी वापसी अदायगी, अगले वर्ष से शुरू होकर, बकाया राशि पर ब्याज के साथ बराबर-बराबर 20 वार्षिक किस्तों में की जाएगी बशर्ते कि बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) के पंचाट के तहत समेकन की शर्त का पालन किया जाए।

लेकिन, इन ऋणों की 50 प्रतिशत राशि पर 5 वर्षों की प्रारम्भिक रियायत की अवधि प्राप्त होगी, जिसके बाद इन ऋणों की वापसी अदायगी बराबर-बराबर 15 वार्षिक किस्तों में की जाएगी। टीएफसी के पंचाट के तहत ऋण माफी के अधीन प्रत्येक वर्ष देय राशि (मूलधन और ब्याज के रूप में) 15 जून से 10 बराबर मासिक किस्तों में वसूल की जाएगी।

(ख) अन्य ऋण:- इन ऋणों की वापसी अदायगी की शर्तें समय-समय यथानिर्धारित होंगी।

7. सरकारी क्षेत्र की परियोजना

(क) नई स्थापनाओं अथवा वर्तमान संस्थाओं के विस्तार के लिए:

(क) ऋणों की शर्तें स्वीकृत परियोजना रिपोर्ट में प्रस्तुत वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निर्धारित की जानी चाहिए (जब एक बार पद्धति निश्चित कर दी जाती है, तो उसमें परिवर्तन इस विभाग की विशेष सहमति से उसके कार्यों को लिखित रूप में दर्शाते हुए ही किया जा सकता है)।

(ख) किसी परियोजना की पूंजीगत आवश्यकताओं में निर्माण अवधि के दौरान लिए गए उधारी पर ब्याज की अदायगी के लिए पर्याप्त प्रावधान होना चाहिए (जैसा कि परियोजना रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है)। निर्माण अवधि के दौरान ऋणों पर देय ब्याज को स्वीकृत परियोजना रिपोर्ट में इस उद्देश्य के लिए की गई व्यवस्था की सीमा तक पूंजी में परिणत करने की अनुमति दी जाएगी। दूसरे शब्दों में, उपक्रम को निर्माणावधि में दिए गए ऋणों पर ब्याज को पूंजी में परिणत करके सैद्धांतिक रूप में वसूल किया जाएगा और ब्याज की अदायगी प्रभावी रूप से निर्माणावधि समाप्त होने के बाद आरम्भ होगी।

(ग) मूल राशि की वापसी-अदायगी सामान्यतः परियोजना के उत्पादन शुरू होने के एक वर्ष पश्चात् से आरम्भ होनी चाहिए और किस्तों की संख्या का सुनिश्चयन परियोजना रिपोर्ट में दर्शाए गए वित्तीय पूर्वानुमानों और वापसी-अदायगी की क्षमता को देखते हुए किया जाए। आगे स्थगन के लिए अनुरोध पर खास मामलों में ही विचार किया जाएगा, जहां परियोजना रिपोर्ट में किसी विशेष परिस्थिति का उल्लेख हो जिनकी वजह से लंबी अवधि के लिए स्थगन आवश्यक हो और यह स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि आवश्यक स्थगन अवधि के दौरान वापसी-अदायगी को फैलाना जरूरी होगा। निर्माणावधि के दौरान पूंजीकृत ब्याज के एवज में स्वीकृत ऋणों की अवधि भी उन्हीं समान शर्तों पर ही होगी जो परियोजना लागत के वित्तपोषण के लिए की गई ऋण व्यवस्था पर लागू है।

(घ) परियोजना की प्रकृति, निर्माण के चरण आदि को देखते हुए, मूल राशि की किस्तों की वापसी-अदायगी के लिए ऋण लेने की तिथि से अधिकतम पांच वर्ष तक की उपयुक्त स्थगन अवधि की अनुमति दी जानी चाहिए। तथापि, किसी भी स्थिति में स्थगन अवधि परियोजना के उत्पादन आरम्भ करने की तिथि से दो वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए अथवा विस्तार कार्यक्रमों के मामले में विस्तारित परियोजना के शुरू होने की तारीख से दो वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ख) कार्यचालन पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए: उपक्रम अपनी नकद ऋण आवश्यकताओं को अपनी वर्तमान सम्पत्ति (जैसे सामग्री

prescribed pattern. In case, deviation is considered necessary, Budget Division should be consulted.

4. The interest rates prescribed above assume timely repayments and interest payments and hence no further rebate in rates is to be allowed for timely payments.

5. OTHER TERMS AND CONDITIONS

(a) The loan sanctioning authority should meticulously follow the instructions contained in General Financial Rules, 2005 (GFR 2005), particularly, rules framed under Chapter 9 (II-LOANS) of GFR, 2005, while sanctioning loans to various entities as stipulated therein.

(b) The instructions issued from time to time have been reviewed and are set out in the following paragraphs for facility of reference.

6. STATE GOVERNMENTS

In the case of loans to State Governments, the arrangements for payment of annual instalment of principal and interest will be as under:-

(a) **Block loans for State Plan Schemes and other Plan loans for Centrally Sponsored Schemes:-** These loans when drawn in instalments, will be consolidated and deemed to have been drawn as on 1st October in each year. The maturity period of the loans sanctioned for State Plans is 20 years, repayments being made in 20 annual equal instalments together with interest on the outstanding balance commencing from the following year, subject to consolidation under the award of Twelfth Finance Commission (TFC).

However, fifty per cent of these loans will enjoy a five year initial grace period, after which repayments of these loans will be effected in 15 annual equal instalments. The amounts annually payable (by way of principal and interest) would be recovered in 10 equal monthly instalments commencing 15th June, subject to debt waiver under the award of TFC.

(b) Other Loans:- The terms of repayment of these loans will be as laid down from time to time.

7. PUBLIC SECTOR PROJECTS

(A) For new installations or expansion of existing institutions:

(a) The terms and conditions of loans should be fixed with reference to the financial picture presented in the approved Project Report. (Once the pattern is settled, there should be no change except with the specific concurrence of this Department for reasons to be stated in writing).

(b) The capital requirements of a project should include adequate provisions for interest payment on borrowings during the period of construction (as specified in the Project Report). The interest on loans due during the period of construction will be allowed to be capitalised to the extent of the provisions made for this purpose in the approved Project Report. In other words, while interest on loans advanced to an undertaking during the period of construction will be notionally recovered by allowing its capitalisation, the payment of interest should effectively commence after the construction period is over.

(c) The repayment of principal should ordinarily commence one year after the project commences production, the number of instalments being determined with reference to the financial projections and repaying capacity specified in the Project Report. Requests for further moratorium will be considered only in exceptional cases where the Project Report has specified any special circumstances that may necessitate a longer period of moratorium and has indicated clearly what staggering of repayment would be needed over the necessary break period. The period of loans sanctioned against capitalised interest during the period of construction may also be on the same terms and conditions as are applicable to loans provided for financing the project costs.

(d) A suitable period of moratorium subject to a maximum of five years from the date of drawal of the loans may be allowed for the repayment of instalments of principal, having regard to the nature of the project, the stage of construction etc. The period of moratorium should not, however, extend in any case, beyond two years from the date of project going into production, or in the case of programmes of expansion, beyond two years from the date of expanded project coming into operation.

(B) **For meeting working capital requirements:** The undertakings are expected to obtain their cash credit requirements from the

भंडार, कच्चा माल, तैयार माल, प्रगति पर चल रहे कार्यों आदि) को बंधक रखकर और जहां समस्त कार्यचालन पूंजी आवश्यकताओं को इस प्रकार सरकार से गारंटी मांगकर नहीं पूरा किया जा सकता, भारतीय स्टेट बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंकों से प्राप्त कर सकते हैं। तदनुसार, सरकारी उपक्रमों से कार्यचालन पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राशियों के लिए किए गए अनुरोधों पर केवल उसी सीमा तक विचार किया जाना चाहिए जितना कि उन्हें भारतीय स्टेट बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता हो।

8. सामान्य

अदायगी अवधि

- (क) (i) राज्य सरकारों के अलावा सभी पार्टियों को दिए गए ऋणों की वापसी अदायगी की अवधि उस प्रयोजन जिसके लिए ये दिए गए हैं, को ध्यान में रखकर निर्धारित की जानी चाहिए और ये कम से कम दिए जाने चाहिए। साधारणतः कोई भी ऋण 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं दिया जाता है। जहां अदायगी की अधिक अवधि मांगी गई हो, अवधि निर्धारण के लिए वहां इस विभाग में बजट प्रभाग की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।
- (ii) साधारणतः ऋण की अदायगी इसके लेने की पहली वार्षिक तारीख से अथवा स्थगन की अवधि की समाप्ति पर जैसा मामला हो, शुरू होगी। वसूली साधारणतः मूलधन की बराबर वार्षिक किस्तों में होगी।
- (iii) कार्यचालन पूंजी संबंधी ऋणों की अदायगी की अवधि अधिमानतः दो अथवा तीन वर्ष तक ही निश्चित करनी चाहिए। तथापि, किसी भी मामले में, इन ऋणों की अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (ख) **ऋण स्थगन:** प्रत्येक मामले में अदायगी के संबंध में ऋण स्थगन की उपयुक्त अवधि की स्वीकृति उस परियोजना को, जिसके लिए ऋणों का उपयोग किया जाना है, ध्यान में रखते हुए दी जानी चाहिए। हालांकि ऋणों पर ब्याज की अदायगी के संबंध में साधारणतः कोई ऋण स्थगन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मंत्रालय/विभाग अपनी वित्तीय सलाहकारों के अनुमोदन से मूलधन की अदायगी के संबंध में ऋण स्थगन जहां देना आवश्यक हो वहां 2 वर्ष की अधिकतम अवधि तक ऐसी अनुमति दे सकते हैं।
- (ग) (i) निर्धारित तारीख के पूर्व अदायगी: निर्धारित तिथि से पूर्व अदा की गई किसी भी किस्त को पूरी तरह मूल राशि के लिए ही समझा जाए बशर्ते उसके साथ अद्यतन तिथि तक किस्त की वास्तविक अदायगी के लिए देय ब्याज भी हो। अगर ऐसा नहीं है तो किस्त की राशि पहले पूर्ववर्ती और चालू अवधि के लिए देय ब्याज के साथ समायोजित की जाएगी और अगर कोई शेष राशि हो तो उसे मूल राशि के साथ प्रयुक्त किया जाएगा। जहां किस्त की अदायगी निश्चित तारीख से 14 अथवा उससे कम दिनों पहले की गई हो तो ब्याज पूरी अवधि (आधा अथवा पूरा वर्ष जैसी भी मामला हो) के लिए देय होगा। अगर कोई राज्य सरकार 1 अक्टूबर को यथा समेकित ऋण के किस्त की अदायगी देय तिथि से 14 दिन से अधिक पहले जमा कर देती है, तो अदायगी की वास्तविक तिथि से ब्याज देय होगा।
- (ii) पूर्व अदायगी प्रीमियम: 10 वर्षों से कम की शेष परिपक्वता अवधि वाले ऋणों पर 0.25 प्रतिशत और 10 वर्ष और इससे अधिक की शेष परिपक्वता अवधि वाले ऋणों पर 0.50 प्रतिशत का पूर्व-अदायगी प्रीमियम लिया जाएगा। यह प्रावधान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को दिए जाने वाले ऋण में लागू नहीं होता है।
- (घ) **शास्ति खण्ड :** ऋण की स्वीकृतियों/समझौते में मूलराशि और/अथवा ब्याज की किस्तों की अदायगी में चूक होने की स्थिति में ब्याज की दंडात्मक दर की व्यवस्था शामिल होनी चाहिए। ब्याज की दंडात्मक दर, ब्याज की सामान्य दर जिस पर ऋण स्वीकृत किया गया है, के ऊपर 2.50 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।
- (ङ) **अदायगी/ब्याज भुगतान में चूक**
- (i) ऋण/ब्याज के भुगतान में चूक की स्थिति में, दंडात्मक दर पर ब्याज की वसूली से छूट नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि छूट के औचित्य का विशेष कारण न हो। लेकिन इस संबंध में निर्णय वित्तीय सलाहकार की सलाह पर वित्त मंत्रालय (बजट प्रभाग) द्वारा लिया जाएगा। यहां तक कि ऐसे मामलों में भी, चूक करने वाली पार्टी से कम से कम 0.25 प्रतिशत दंडस्वरूप वसूल किया जाना चाहिए।
- (ii) ब्याज की दंडात्मक दर मूल राशि और/अथवा ब्याज की अतिदेय किस्तों पर उनकी अदायगी की निश्चित तारीख को वास्तविक अदायगी की तारीख से पूर्व लागू होगी।
- (iii) जब किसी ऋणकर्ता को जिसने पहले भी चूक की हो, नया ऋण स्वीकृत किया जाना हो, ऋण स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को चूक की गई बकाया राशि की वसूली के प्रश्न पर भी अवश्य विचार करना चाहिए। बजटीय परिस्थितियों के एवज में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सभी निर्मुक्तियां, ऋणों और ब्याज की अदायगी से संबंधित चूकों, यदि

State Bank of India/Nationalised Banks by hypothecating their current assets (such as stock of stores, raw materials, finished goods, work in progress, etc.) and where the entire working capital requirements cannot be raised in this manner by seeking a guarantee from Government. Accordingly, requests from Public Sector Undertakings for funds for meeting working capital requirements should be considered only to the extent the same cannot be had from the State Bank of India/Nationalised Banks.

8. GENERAL

REPAYMENT PERIOD

- (A) (i) The period for repayment of loans for all parties other than State Governments should be fixed with due regard to the purpose for which they are advanced and it should be restricted to the minimum possible. Normally, no loan should be granted for a period exceeding 10 years. Where a longer period for repayment is sought, prior concurrence of the Budget Division in this Department will be necessary for fixing the period.
- (ii) The repayment of a loan should normally commence from the first anniversary date of its drawal or on expiry of the period of moratorium, as the case may be. The recovery should ordinarily be effected in annual equal instalments of principal.
- (iii) The period of repayment of working capital loans should preferably be restricted to two or three years. In no case, however, the period of these loans should exceed 5 years.
- (B) **Moratorium:** Subject to exceptions made in respect of public sector projects, a suitable period of moratorium towards repayment might be agreed to in individual cases having regard to the project for which the loans are to be utilised. However, no moratorium should ordinarily be allowed in respect of interest payment on loans. Ministries/Departments may with the approval of their Financial Advisers allow moratorium on repayment of principal wherever considered necessary upto a maximum period of 2 years.
- (C) (i) **Repayment before due date:** Any instalment paid before its due date may be taken entirely towards the principal provided it is accompanied by payment towards interest due upto date of actual payment of instalment; if not, the amount of the instalment will first be adjusted towards the interest due for the preceding and current periods and the balance, if any, will alone be applied towards the principal. Where the payment of the instalment is in advance of the due date by 14 days or less, interest for the full period (half year or full year as the case may be) will be payable. If any State Government repays an instalment of a loan which is consolidated as on 1st October, in advance of the due date by more than 14 days the interest will be payable with reference to the actual date of repayment.
- (ii) **Pre-payment premium:** Prepayment premium of 0.25% on the loans with residual maturity of less than 10 years and 0.50% for the loans with residual maturity of 10 years and above, shall be charged. The provision does not apply to the loans to State/UT Governments.
- (D) **Penalty Clause:** The loan sanctions/agreements should invariably include a penalty clause providing for levy of a penal rate of interest in the event of default in repayment of instalment(s) of principal and/or interest. The penal rate of interest should not be less than 2.50% above the normal rate of interest at which a loan is sanctioned.
- (E) **Defaults in repayment/interest payment:**
- (i) In the event of a default in repayment of loan/interest payment, the recovery of interest at penal rate may not be waived unless there are special reasons justifying a waiver. However, a decision in this regard will be taken by the Ministry of Finance (Budget Division) on the advice of Financial Adviser. Even in such cases, a minimum of 0.25% should be recovered from the defaulting party as penalty.
- (ii) The penal rate of interest is chargeable on the overdue instalments of principal and/or interest from the due date of their payment to the date preceding the date of actual payment.
- (iii) Whenever a fresh loan is to be sanctioned to a borrower who has earlier defaulted, the loan sanctioning authority must consider the question of recovery of defaulted dues. All releases to Public Sector Undertakings against budgeted outlays should be made only after adjusting the defaults, if any, pertaining to repayment

कोई हो, को समायोजित करने के बाद ही की जाएगी। यदि विशेष और अपवादत्मक कारणों की वजह से ऐसे समायोजन करने संभव न हों, तो दिनांक 15.10.1991 के इस प्रभाग के परिपत्र सं.एफ.2 (190)-बी(एसडी)/91 की अनुसूचिता में, विस्तृत आदेशों की शिथिलता में, नए ऋणों की निर्मुक्ति करने से पूर्व, बजट प्रभाग के माध्यम से सविध (व्यय) के विशेष आदेश प्राप्त कर लेने चाहिए।

- (iv) कोई भी चूक शुरु से ही मंत्रालयों/विभागों के लिए चेतावनी के संकेत का कार्य करेगी जिसके लिए उपचारात्मक कार्रवाई तत्काल शुरु की जानी है।
- (v) मंत्रालय/विभाग को चूककर्ता सीपीएसयू सहित उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति की आलोचनात्मक समीक्षा करनी होगी और जहां संभव हो, सरकार को देय धनराशि वसूल करने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।
- (vi) जहां तक चूककर्ता सीपीएसयू का मामला है, इन सीपीएसयू के पुनर्गठन की रूपरेखा स्पष्ट होनी चाहिए क्योंकि लंबे समय में अनुमोदन मिलने से चूककर्ता तेजी से फलने-फूलने लगते हैं।
- (vii) मंत्रालयों/विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए की वित्तीय तौर पर यह चूक लगातार न हों।
- (viii) जहां भी मंत्रालय/विभाग सीपीएसयू के पुनर्गठन पर विचार कर रहे हों उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इक्विटी इन्फ्यूजन के अलावा, निधि जुटाने, ऋण/ब्याज भुगतान के पुनः निर्धारण की समय-सीमा, देय को बड़े खाते में डालना आदि को समग्र तौर पर व्यावहारिक बनाया जाए।

तथापि, किसी भी आधार पर क्रिसों के अस्तित्व/स्थगन के लिए कोई भी अनुरोध, चाहे वह कोई भी हो, स्वीकार नहीं किया जाएगा, सिवाय उन कंपनियों के मामले को छोड़कर जिन्हें बीआईएफआर को भेजा गया हो अथवा उन कंपनियों के संबंध में जिन्हें दिनांक 06.10.1994 के इस प्रभाग के परिपत्र सं.एफ.2(165)-बी (एसडी)/94 की अनुसूचिता में पिछले तीन वर्षों में नकद हानि हुई हो।

(च) ऋण की शर्तों में सुधार के लिए अनुरोध:

- (i) ऋणकर्ताओं को उन्हें दिए गए ऋण की शर्तों का कड़ाई से पालन करना चाहिए और उनके पक्ष में इन शर्तों का संशोधन केवल अति विशेष कारणों के लिए ही किया जा सकता है। शर्तों में संशोधन के लिए अनुरोध, वृद्धि, की अवधि में अथवा अदायगी की प्रारम्भिक स्थान अवधि में ऋण, दंडात्मक ब्याज से छूट देने अथवा ब्याज की सामान्य दर में कमी करने से संबंधित हो सकता है। दंडात्मक ब्याज से छूट देने के लिए अनुरोध से संबंधित पद्धति पर पैराग्राफ 8 में चर्चा की जा चुकी है। अदायगी में अन्य संशोधनों से संबंधित मामलों पर इस मंत्रालय के बजट प्रभाग से विचार-विमर्श करके विचार किया जाना चाहिए। ऐसे मामले भेजते समय, अदायगी/ब्याज के अनुमानों में संशोधन के प्रभाव का, जो बजट में शामिल किए जा चुके हैं और सरकार की संसाधन स्थिति का पता प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा लगाया जाना चाहिए।
- (ii) ऋण की अवधि में संशोधन करने के प्रस्तावों की जांच करते समय, ब्याज दर जिस पर ऋण स्वीकृत किया गया था, की भी समीक्षा की जानी चाहिए।
वैसे मामले में जब ऋण की अदायगी शुरु हो चुकी हो तो ऋण की अवधि में विस्तार किए जाने की तारीख तक ऋण के बचे हुए भाग पर ब्याज की संशोधित दर लागू की जानी चाहिए।
- (iii) ऋण पर सामान्य ब्याज की वसूली को छूट देने के अनुरोध (किसी विशेष अवधि के लिए अथवा पूरी अवधि के लिए) जिसे ब्याज की सामान्य दर पर स्वीकृत किया गया था, पर सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के 223 (1) के प्रावधान लागू होंगे और उन पर तदनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

(छ) रियायती दरों पर स्वीकृत ऋण:

- (i) उन मामलों में जहां ऋणों को रियायती दर पर स्वीकृत किया जाना हो तो सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के 223 (1) में विहित अनुदेशों का पालन करना होगा। ऐसे मामलों में, आर्थिक सहायता (सब्सिडी) की अदायगी (रियायत को, अर्थात् सामान्य दर और रियायती दर के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए) ऋणकर्ता द्वारा मूल राशि और उस पर ब्याज की अदायगी अविलम्ब करने की शर्त पर की जानी चाहिए।
- (ii) उन मामलों में जहां ब्याज-मुक्त ऋण स्वीकृत किए जाते हैं, (अर्थात् होस्टलों के निर्माण के लिए तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को ऋण) ब्याज-मुक्त ऋण स्वीकृत करने के लिए तुरंत वापसी-अदायगी को एक शर्त बना दिया जाना चाहिए। कहने के तात्पर्य यह है कि ऐसे मामलों में स्वीकृति-पत्र में यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि अदायगी में कोई चूक होने की स्थिति में ऋणों पर सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर ब्याज प्रभार्य होगा।
- (iii) इसी प्रकार विभागीय कैंटीनों को ब्याज मुक्त ऋणों के मामले में जहां संचालन व्यय को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है, स्वीकृति पत्र में यह शर्त सम्मिलित की जानी चाहिए कि अदायगी में कोई चूक होने की स्थिति में चूक की गई देय राशि को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में से काट लिया जाएगा।

of loans and interest. If for special and exceptional reasons such adjustments are not possible, specific orders of Secretary (Expenditure) should be obtained through Budget Division, before release of fresh loans, in relaxation of extant orders, in conformity with this Division circular No.F.2 (190)-B(SD)/91, dated 15.10.1991.

- (iv) Any defaults should ab-initio serve as a warning signal to the Ministries/ Departments for which curative action has to be taken immediately.
- (v) Ministries/Departments need to critically review the financial position of the borrower, including defaulting CPSUs and wherever possible, should take immediate action to recover the money due to the Government.
- (vi) In the case of defaulting CPSUs, there has to be a clear road map for restructuring of these CPSUs, as prolonged approval results in burgeoning of defaults.
- (vii) Ministries/Departments are to ensure that these defaults do not become fiscally unsustainable.
- (viii) Wherever Ministries/Departments are considering restructuring of a CPSU, it must be ensured that besides equity infusion, funds mobilisation, rescheduling of loans/interest payments, write off of dues, etc. should be formulated holistically.

However, no request for waiver/postponement of instalments on any ground whatsoever will be accepted, except in cases of companies referred to BIFR or in respect of those companies which have incurred cash losses for last three years, in conformity with this Division circular No.F.2(165)-B(SD)/94, dated 06.10.1994.

(F) Requests for modification of terms of loans:

- (i) Borrowers are required to adhere strictly to the terms settled for loans made to them and modifications of these terms in their favour can be made subsequently only for very special reasons. Requests for modification of terms may relate to increase in the period of a loan or of initial moratorium period towards repayment, or waiver of penal interest or reduction in or waiver of normal rate of interest. The procedure of dealing with requests for waiver of penal interest has already been dealt with in paragraph 8. Cases involving other modifications in repayment terms should be considered in consultation with the Budget Division in this Ministry. In referring such cases, the impact of the modifications on the estimates of repayment/interest which have gone into the Budget and Government's resources position should be succinctly brought out by the administrative Ministry.
- (ii) In examining proposals for modification of the period of the loan, the interest rate at which the loan was sanctioned should also be reviewed.

In the case of a loan of which repayment has already commenced the revised rate of interest should be applied ab initio only to the residuary portion of the loan outstanding on the date of extension of its period.

- (iii) Requests for waiver of recovery of normal interest (either for a specified period or for the entire period) on a loan which originally sanctioned at normal rate of interest, will attract the provisions of Rule 223 (1) of G.F.R.2005 and should be dealt with accordingly.

(G) Loans sanctioned at concessional rates:

- (i) In cases where loans are to be sanctioned at a concessional rate, the instructions contained in Rule 223 (1) of G.F.R.2005 have to be observed. In such cases, payment of subsidy (to cover the concession viz. difference between normal rate and concessional rate) should be made conditional upon prompt repayment of principal and payment of interest thereon by the borrower.
- (ii) In cases where loans are sanctioned interest free (e.g. loans to technical educational institutions for construction of hostels) prompt repayment should be made a condition for the grant of interest free loans. That is to say, the sanction letter in such cases should provide that in the event of any default in repayment, interest at rates prescribed by Government from time to time will be chargeable on the loans.
- (iii) Similarly, in the case of interest free loans to departmental canteens where subsidy is also provided to meet running expenses, the sanction letter should stipulate that in the event of any default in repayment, the defaulted dues would be recovered out of the subsidy payable.

(ज) विविध: ऋण की स्वीकृतियां जारी करने के लिए निर्धारित मानक फार्म (परिशिष्ट-1) को सामान्य प्रयोग में लाया जाना चाहिए।

(i) ऋणकर्ता द्वारा ऋण प्राप्त करने की तारीख वह होगी जिस तारीख को उसने आहरण और वितरण अधिकारी से नकद, चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट प्राप्त किया है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नकद/चेक/बैंक ड्राफ्ट प्राप्त करने की तारीख और पाने वाले को उसके वितरण/सुपुर्दगी प्रेषण की तारीख के बीच समय का अन्तर न्यूनतम रहे। जहां चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट को डाक द्वारा भेजा जाता है वहां डाक में भेजने की तारीख को ऋण के वितरण की तारीख के रूप में माना जाना चाहिए। आहरण और वितरण अधिकारी को अपने लेखा अधिकारी को अदायगी की तारीख निरूपण के रूप में सूचित करनी चाहिए ताकि लेखा अधिकारी अपने रिकार्ड में उपयुक्त टिप्पणी दर्ज कर सके।

(ii) राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों तथा विदेशी सरकारों और सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर अन्य पक्षों को ऋण स्वीकृत करने के मामले में ऋणकर्ता को, ऋण स्वीकृत करने वाले मंत्रालय/विभाग से संबद्ध सरकारी क्षेत्र के बैंक के नई दिल्ली कार्यालय/मुख्यालय में देय तारीख को अथवा उससे पहले देय राशि/नकद अथवा चेक अथवा उक्त सरकारी क्षेत्र के बैंक की शाखा के पक्ष में दिल्ली/नई दिल्ली में किसी अनुसूचित बैंक पर लिया गया ड्राफ्ट दे देना चाहिए। अदायगी के साथ ज्ञापन अथवा चालान की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए जिसमें (क) ऋण स्वीकृत करने वाले मंत्रालय/विभाग का नाम; (ख) ऋण स्वीकृत पत्र की संख्या एवं तारीख और स्वीकृत ऋण की राशि, (ग) ब्याज और मूलधन की -अदायगी के लिए देय अलग-अलग राशि और लेखा शीर्ष जिसमें सरकारी खाते में राशि जमा की जानी है, और (घ) अदायगी की देय तारीख सूचित की जाए। ऋणकर्ता से मूलधन और ब्याज की अदायगी के लिए अलग-अलग चेक/ड्राफ्ट तथा चालान देने के लिए कहा जाना चाहिए।

बाहर रहने वाले ऋणकर्ताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे देय राशि की व्यवस्था अपने बैंक के माध्यम से करें जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि ज्ञापन/चालान और चेक/ड्राफ्ट निश्चित तारीख तक नई दिल्ली में उपयुक्त सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखा में पहुंच जाए।

(iii) मंत्रालयों/विभागों से अपेक्षित है कि वे उनके द्वारा दिए गए ऋणों की समय पर अदायगियों और उन पर ब्याज की वसूली पर निरन्तर नजर रखें। सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 220(1) (viii) में मूलधन की किस्त और/अथवा उस पर ब्याज की अदायगी की निर्धारित तारीख से एक महीने पहले ऋणकर्ता को नोटिस दिए जाने की व्यवस्था की गई है। ऐसे नोटिस परिशिष्ट-II में दिए गए फार्म में भेजे जाएं। तथापि ऋणकर्ता को ऐसे नोटिस प्राप्त न होने की स्थिति का कोई लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।

ऋण प्राप्त कर्ताओं से देय अदायगियों/ब्याज अदायगियों की भी कम से कम तीन महीने में एक बार समीक्षा की जाना चाहिए और जिन मामलों में चूक हो उनमें ऋणकर्ता को परिशिष्ट-III में दिए गए फार्म में दंडात्मक/उच्चतर दर पर ब्याज के साथ अदायगी करने के लिए नोटिस जारी किया जाना चाहिए।

(iv) ऋणों की शर्तों से संबंधित अलग-अलग मामलों को आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि इस कार्यालय ज्ञापन में दी गई शर्तों में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव न हो।

यह वित्त मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(एच.के. श्रीवास्तव)
निदेशक (बजट)
टेलीफोन नं. 23092744

(H) Miscellaneous: A standard form prescribed for issue of loan sanctions (Appendix-I) should ordinarily be followed.

(i) The date of drawal of a loan by the borrower will be date on which he received cash, cheque or bank draft from the Drawing and Disbursing Officer. It should be ensured that the time lag between the date of obtaining the cash/cheque/bank draft and its disbursement/delivery/despatch to the payee is reduced to the minimum. Where the cheque or bank draft is sent through post, the date of posting should be treated as the date of disbursement of the loan. The Drawing and Disbursing Officer should invariably intimate the date of payment to his Accounts Office to enable the latter to make a suitable note in his records.

(ii) In the case of loans sanctioned to parties other than State and Union Territory and Foreign Governments and Government Servants, the borrower should tender the amounts due on or before the due date, at the New Delhi Office/Main Office of the public sector bank accredited to the Ministry/ Department which sanctions the loan, in cash or by cheque or draft drawn on any scheduled bank in Delhi/New Delhi in favour of the said PSB Branch. The payment should be accompanied by a memorandum or challan in duplicate indicating (a) name of the loan sanctioning Ministry/Department; (b) No. and date of the loan sanction letter and the loan amount sanctioned; (c) amount due for payment separately for interest and principal and the head(s) of account to which the dues are to be credited in the Government Accounts; and (d) due date of payment. The borrower should be asked to tender separate cheques/drafts and challans for payment of principal and interest.

Outstanding loanes are required to arrange the dues through their bank ensuring that the memorandum/challan and the cheque/draft reaches the aforesaid PSB Branch in New Delhi by the due date.

(iii) Ministries/Departments are required to keep close watch on timely repayments of loans advanced by them and recovery of interest thereon. Rule 220 (1) (viii) of G.F.R. 2005 provides for a notice to be given to the borrowers a month in advance of the due date of payment of instalment of the principal and/or interest thereon. Such notices may be sent in the form given in Appendix II. The borrower should not however be given any advantage in the event of non-receipt of such a notice.

Repayments/interest payments due from the loanes should also be reviewed at least quarterly, and where any default has occurred, a fresh notice should be served on the borrower to arrange payment with penal/higher rate of interest in the form set out in Appendix III.

(iv) Individual cases relating to terms and conditions of loans need not be referred to the Department of Economic Affairs (Budget Division) unless it is proposed to deviate from those laid down in this Office Memorandum.

This issues with the approval of Finance Minister.


(H K Srivastava)
Director (Budget)
Tel. No. 23092744

सेवा में,

1. सभी मंत्रालय, उनके वित्तीय सलाहकार और लेखा नियंत्रक।
2. सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों और प्रशासनों के वित्त सचिव।
3. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (10 प्रतियां)।
4. लेखा महा नियंत्रक/रक्षा लेखा महा नियंत्रक (10 प्रतियां)।
5. सभी महालेखाकार और लेखा परीक्षा निदेशक।
6. भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई (10 प्रतियां)।

To

1. All Ministries, their Financial Advisers and Controllers of Accounts.
2. Finance Secretaries of all States and Union Territory Governments and Administrations.
3. Comptroller and Auditor General of India (10 copies).
4. Controller General of Accounts/Controller General of Defence Accounts (10 copies).
5. All Accountants General and Directors of Audit.
6. Reserve Bank of India, Central Office, Bombay (10 copies).

परिशिष्ट-I

APPENDIX-I

स्वीकृति-पत्र का फार्म

FORM OF SANCTION LETTER

सेवा में,

(राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के मामले में निम्नलिखित को संबोधित किया जाए)

i) मुख्य लेखा नियंत्रक/संबंधित लेखा नियंत्रक
ii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के प्रशासनिक विभाग का सचिव)

(अन्य मामलों में निम्नलिखित को संबोधित किया जाए)

i) ऋणकर्ता
ii) _____ मंत्रालय/विभाग का लेखा नियंत्रक)

विषय:-

महोदय

मुझे _____ को _____ रुपए _____ रुपए के ऋण के (अंकों में) (शब्दों में) भुगतान के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. आवश्यक ब्यौरे इस पत्र के अनुबंध में दिए गए हैं।

3. (यदि आवश्यक हो तो वे शर्तें जिनको पूरा करने पर ऋण स्वीकृत किया जाना है अर्थात् जो सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 220 (3) और 225 में दी गई हैं)

4. यह स्वीकृति वित्त मंत्रालय की पिछली सहमति से निर्धारित नियमों/सिद्धांतों के अनुसार प्रदान की गई है और ऋण पर ब्याज की दर तथा उसकी वापसी अदायगी की अवधि उनके द्वारा जारी किए गए वर्तमान निर्देशों के अनुसार निर्धारित की गई है।

भवदीय,

()

संख्या _____ दिनांक _____

संबंधित महालेखाकार को प्रति प्रेषित (केवल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के मामले में)

To

(In case of State and Union Territory Governments to be addressed to

i) Chief Controller of Accounts/Controller of Accounts concerned.
ii) Secretary of the Administrative Department of the State/UT Government).

(In other cases to be addressed to

i) The borrower
ii) Controller of Accounts of the Ministry/Department of _____)

Subject:-

Sir,

I am directed to convey the sanction of the President to the payment of loan of Rs. _____ Rupees _____ (In figures) _____ (in words) to _____.

2. The essential details are given in the annexure to this letter.

3. (Conditions on fulfilment of which loan is to be sanctioned e.g. those given in Rules 220 (3) and 225 of G.F.R. 2005 to be inserted, if necessary).

4. This sanction has been accorded in accordance with the rules/principles laid down with the previous consent of the Ministry of Finance and that the rate of interest on the loan and period of repayment thereof have been fixed in accordance with the existing instructions issued by them.

Yours faithfully,

()

No. _____ dated _____

Copy to the Accountant General concerned (In the case of States and Union Territory Governments only).

_____ मंत्रालय/विभाग
के पत्र संख्या _____ दिनांक _____
को अनुबंध

Annexure to the Ministry/Department of _____
_____ letter No. _____
_____ Dated _____

केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम

LOANS AND ADVANCES BY CENTRAL GOVERNMENT

1. ऋणकर्ता का नाम _____
2. मंजूर की गई राशि (अंकों और शब्दों में)
रुपए _____ (अंकों में)
रुपए _____ (शब्दों में)
3. मंजूरी की वैध तिथि _____
4. ऋण का प्रयोजन _____
5. नकद रूप में देय अथवा समायोजन द्वारा _____
6. आयोजना/आयोजना-भिन्न (आयोजना के मामले में आयोजना की श्रेणी) _____
7. अनुदान और उप-शीर्ष जिनके अन्तर्गत स्वीकृत राशि नामे जाली जाएगी _____
8. वित्तीय वर्ष में ऋणकर्ता को मंजूर की गई ऋण की प्रगामी राशि _____
9. ऋण की अवधि _____
1. Name of the Borrower _____
2. Amount sanctioned (in figures & words)
Rs. _____ (in figures)
Rupees _____ (in words)
3. Sanction valid upto _____
4. The purpose of loan _____
5. Payable in cash or by adjustment _____
6. Plan/Non-Plan (in the case of Plan, category of Plan). _____
7. Grant & Sub-head under which amount sanctioned is debitible _____
8. Progressive amount of loan sanctioned to the borrower to date in the financial year _____
9. Period of loan _____

10. वापसी अदायगी के संबंध में रियायत की अवधि, यदि कोई है _____
11. तारीख और वर्ष, जिससे वापसी-अदायगी शुरू होगी _____
12. वापसी-अदायगी का तरीका _____
13. ब्याज:
- (i) राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को ऋण के संबंध में:
- क) सामान्य दर _____
- ख) वापसी अदायगी/ब्याज की अदायगी में देरी होने पर ब्याज की दंडात्मक दर _____
- ग) ब्याज की वसूली का तरीका _____
- (ii) राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अलावा पक्षों के लिए:
- (iii) ब्याज की वसूली का तरीका _____

10. Moratorium towards repayment, if any _____
11. Date and year from which repayment to commence _____
12. Mode of repayment _____
13. Interest :
- (i) For loans to State Governments, Union Territory Governments & Public Sector Enterprises:
- a) normal rate _____
- b) Penal rate of interest in the event of defaults in repayment/interest payments _____
- c) Mode of recovery of interest _____
- (ii) For parties other than State Governments, Union Territory Governments and Public Sector Undertakings:
- (iii) Mode of recovery of interest. _____

हस्ताक्षर _____
(संस्वीकृत करने वाले प्राधिकारी की मोहर)

Signature _____
(Seal of the Sanctioning Authority)

**परिशिष्ट-II
नोटिस**

**APPENDIX-II
NOTICE**

संख्या _____
लेखा नियंत्रक का कार्यालय
_____ मंत्रालय/विभाग
नई दिल्ली, दिनांक _____

No. _____
Office of the Controller of Accounts
Ministry/Department of _____
New Delhi, dated the _____

सेवा में,

To

विषय:- ऋण की वापसी-अदायगी और उस पर ब्याज की अदायगी।

Subject:- Repayment of loan and payment of interest thereon.

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

_____ मंत्रालय/विभाग के दिनांक _____ के पत्र संख्या _____ द्वारा आपको मंजूर किए गए _____ रूप के ऋण के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, वार्षिक वापसी-अदायगी की किस्त और/अथवा उस पर ब्याज, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है, _____ के देय होगी।

According to the terms and condition of the loan of Rs. _____ sanctioned to you vide Ministry/ Department of _____ letter No. _____ dated _____, the annual repayment instalment and/or interest thereon, detailed below, will become due on _____ .

- (i) वापसी अदायगी रूपे _____
(शब्दों और अंकों में)
- (ii) ब्याज रूपे _____
(शब्दों और अंकों में)

- (i) Repayment Rs. _____
(in words and figures)
- (ii) Interest Rs. _____
(in words and figures)

2. कृपया देय तारीख तक अदायगी करने की व्यवस्था की जाए। यह उल्लेखनीय है कि ब्याज की राशि का हिसाब यह मानकर लगाया गया है कि अदायगी समय पर की दी जाएगी, अन्यथा इसे ऋण की शर्तों के अनुसार बढ़ाकर संशोधित किया जाएगा।

2. Please arrange the payment by the due date. It should be noted that the amount of interest has been calculated on the assumption that payment will be arranged promptly; otherwise it will be revised upwards in accordance with the terms of the loan.

3. देय राशियों को, निर्धारित तारीख को अथवा उससे पहले _____ पर _____

3. The amounts due should be tendered, on or before the due date at the _____

(नई दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय/सरकारी क्षेत्र का बैंक (पी.एस.बी.) में नकदी

(New Delhi head office/main office of the Public Sector Bank (PSB)

जो मंत्रालय/विभाग से संयोजित है)

accredited to the Ministry/Department)

के रूप में अथवा चैक या ड्राफ्ट द्वारा जिसे किसी भी अनुसूचित बैंक/नई दिल्ली के नाम में उपरोक्त सरकारी क्षेत्र की बैंक शाखा के पक्ष में आहरित किया गया हो, अदा की जानी चाहिए। अदायगी, एक ज्ञापन अथवा चालान के साथ दो

_____ in cash or by cheque or draft drawn on any scheduled bank/New Delhi in favour of the aforesaid PSB Branch. The payment should be accompanied by a

प्रतियों में की जानी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दिए गए हों:-

- इस मंत्रालय/विभाग का नाम _____
- ऋणकर्ता का नाम _____
- ऋण संस्वीकृति पत्र की संख्या और तारीख और मंजूर की गई ऋण की राशि _____
- अदायगी के लिए देय राशि, ब्याज और ऋण वापसी अदायगी के लिए अलग-अलग _____
- अदायगी की देय तारीख _____
- नीचे बताया गया लेखा-शीर्ष, जिसमें सरकारी खातों में राशि समायोजनीय होगी, चालान में दिया जाना चाहिए:

लेखा-शीर्ष

- मूलधन की किस्त
- ब्याज

4. मूलधन और ब्याज की अदायगी के लिए अलग-अलग चैक/ड्राफ्ट और चालान प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

5. बाहरी ऋणकर्ताओं द्वारा देय राशियों की अदायगी ज्ञापन/चालान के साथ अपने बैंक के माध्यम से नई दिल्ली में उपरोक्त सरकारी क्षेत्र के बैंक की शाखा को देय तारीख तक की जानी चाहिए।

भवदीय,

लेखा अधिकारी

पंजीकृत पावती
परिशिष्ट-III

महत्वपूर्ण सूचना

संख्या _____
लेखा नियंत्रक का कार्यालय
मंत्रालय/विभाग

सेवा में,

विषय:- ऋण की वापसी-अदायगी और उस पर ब्याज की अदायगी।

प्रिय महोदय,

मुझे यह कहना है कि मूल और ब्याज की राशि क्रमशः _____

_____ रूप और _____ रूप (जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है) जो उन ऋणों के संबंध में देय है जिनका उल्लेख उनके सामने किया गया है अभी तक आपने उनकी अदायगी की व्यवस्था नहीं की है।

ऋण स्वीकृति संख्या और तारीख

- मूलधन
- ब्याज

2. कृपया इस पत्र के जारी होने की तारीख से 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त राशि भारत सरकार के खाते में जमा करवाने की व्यवस्था करें, अन्यथा अन्य कदम उठाए जाएंगे।

3. यदि प्रश्नगत अदायगी सरकार को की जा चुकी हो तो चैक/डिमांड ड्राफ्ट का विवरण और _____

में जमा

(सरकारी क्षेत्र के बैंक की शाखा का नाम)

करने की तारीख की जानकारी तत्काल भेज दी जाए।

भवदीय

लेखा अधिकारी

memorandum or challan, in duplicate, giving the following details:-

- Name of the Ministry/Department _____
- Name of the Borrower _____
- No. and date of the loan sanction letter with the loan amount sanctioned _____
- Amount due for payment, separately for interest and repayment _____
- Due date of payment _____
- The head of the account indicated below, to which the amounts will be adjustable in Government accounts, should be included in the challan:-

Head of Account

- Instalment of Principal
- Interest

4. Separate cheque/draft and challans should be submitted for payment of principal and interest.

5. For outstation loanees, payment of dues together with memorandum/challan is to be arranged through their bank to the aforesaid PSB branch in New Delhi by the due date.

Yours faithfully,

Accounts Officer

REGISTERED A.D.
APPENDIX-III

IMPORTANT NOTICE

No. _____
Office of the Controller of Accounts
Ministry/Department _____

To

Subject:- Repayment of loan and payment of interest thereon.

Dear Sir,

I am to state that the payment of Rs. _____ and Rs. _____ (as detailed below) representing principal and interest respectively, which fell due on _____ in respect of loans mentioned thereagainst, has not so far been arranged by you.

Loan sanction No. & Date

- Principal _____
- Interest _____

2. Please arrange to deposit the aforesaid amount to the account of the Government of India within 10 days of the issue of this letter, failing which other measures would be initiated.

3. In case the payment in question has already been made to the Government, particulars of the cheque/demand draft and the date of deposit at the _____

_____ may be indicated immediately.
(Name of the public sector bank branch)

Yours faithfully,

Accounts Officer